



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ विविध दिशानिर्देश/ 2026 नीति परिपत्र सं. 18.128 2026 / दिनांक 09th जुलाई, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. डिज़ाइन-17011/1/2026-डिज़ाइन डिवीज़न (कम्प्यूटर सं. 318450 पर लिया गया निर्णय))}

NHAI/Policy Guidelines/Miscellaneous Guidelines /2026

Policy Circular No.18.128/ 2026 dated 09th July,2026

{(Decision taken on E-Office File No.DESIGN-17011/1/2026-Design Division (Comp No. 318450))}

विषय: पुल विशेषज्ञों द्वारा निर्माण या ओ एंड एम अवधि के दौरान विफल संरचनाओं (जैसे पुल, ओवरपास, अंडरपास आदि) के निरीक्षण के संबंध में।

Sub.: Inspection of Failed Structures such as Bridges, Overpasses, Underpasses etc. during Construction or O&M Period by the Bridge Experts-reg.

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवसंरचनात्मक घटकों की विफलता की स्थिति में मानक संचालन प्रक्रियाओं पर दिनांक (एसओपी) 28.08.2020 के नीति दिशानिर्देश संख्या 18.51 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सदस्य की मंजूरी से अवसंरचना के क्षेत्र में पैनलबद्ध चुने गए 3 विशेषज्ञों की एक समिति आरयूबी / आरओबी / फ्लाईओवर / पुल), आदिको तकनीकी प्रभाग द्वारा घटना के 24 घंटों के भीतर स्थल का दौरा करने के लिए भेजा जाएगा जो विफलता की ज़िम्मेदारी तय करने के साथ कारण का पता लगाने के लिए तकनीकी विश्लेषण करेगी और 3 दिनों के भीतर अपनी आरंभिक रिपोर्ट और 7 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट संबंधित सदस्य को सौंपेगी।

Vide Policy Guidelines No. 18.51 dated 28.08.2020 on Standard Operating Procedures (SOPs) in case of failure of structural components on National Highways, it has been decided that a Committee of 3 experts chosen from the empaneled list in the field of structure (Bridges / Flyovers / ROB / RUBs, etc.) will be deputed by Technical Division with the approval of Member concerned to visit the site within 24 hours of incident in order to carry out technical analysis to find the reason of failure along with fixing the responsibility for failure and submit its Preliminary Report within 3 days and Final report in 7 days to Member concerned.

2. अवसंरचनाओं की विफलता के कारणों की जांच और विश्लेषण करने के लिए पैनलबद्ध पुल विशेषज्ञों की सूची की भाराराप्रा नीति दिशानिर्देश संख्या 18.53 दिनांक 29.09.2020 (जिसे नीति दिशानिर्देश संख्या 18.54 के रूप में संशोधित किया गया) के द्वारा अधिसूचित की गई थी, और जिसे भाराराप्रा के नीति दिशानिर्देश संख्या 18.87 दिनांक 25.05.2023, नीति दिशानिर्देश संख्या 18.93 दिनांक 23.11.2023 और नीति दिशानिर्देश संख्या 18.106 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा अद्यतन किया गया था।

Contd....2/-

The list of empaneled bridge experts for inspecting and analyzing the reasons for failure of Structures was notified vide NHAI Policy Guideline No. 18.53 dated 29.09.2020 (amended as Policy Guideline No. 18.54) and further updated vide NHAI's Policy Guideline No. 18.87 dated 25.05.2023, Policy Guideline No. 18.93 dated 23.11.2023 and Policy Guideline No. 18.106 dated 13.08.2025.

3. उपरोक्त के अनुक्रम में, अवसंरचनाओं की विफलता के कारणों की जांच और विश्लेषण करने के लिए पैमलबद्ध पुल विशेषज्ञों की सूची निम्नानुसार अद्यतन की गई है: -

In continuation to above, the list of empaneled Bridge Experts for inspecting and analyzing the reasons for failure of structures is hereby updated as under: -

क्र.सं.	पुल विशेषज्ञ का नाम (श्री/सुश्री) Name of the Bridge Expert (S/Sh.)	एजेंसी/ Agency	Contact No./ मोबाइल नं.	ई-मेल पता /E-mail address
1	महेश टंडन Mahesh Tandon	मेसर्स टंडन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड M/s Tandon Consultants Pvt. Ltd.	9818958090	Mahesh.tandon@tcpl.com
2	आर.के.पांडेय R.K.Pandey	सदस्य - भाराराप्रा (सेवानिवृत्त) एडीजी - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सेवानिवृत्त) Member - NHAI (Retd.) ADG- MoRTH (Retd.)	8376900509	Rkpandey57@hotmail.com
3	एच. सुब्बाराव H. Subbarao	मेसर्स कॉन्स्ट्रुमा लिमिटेड M/s Construma Ltd.	9833055968	h.subharao@construma.com
4	ए.के. श्रीवास्तव A.K. Shrivastava	एडीजी - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सेवानिवृत्त) ADG - MoRTH (Retd.)	9818314688	Aks5858@yahoo.in
5	वेंकटराम पी.जी. Venkatram P. G.	मेसर्स एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड M/s L&T Infrastructure Engineering Ltd.	9445392393	pgvenkatram@gmail.com
6	आलोक पांडे Alok Pandey	मेसर्स एलिगेंट इंजीनियरिंग M/s Elegant Engg.	9871606573	alok_elegant@rediffmail.com
7	आदित्य शर्मा Aditya Sharma	मेसर्स रैम्बोल M/s Rambol	9811517222	acs071968@gmail.com

8	आलोक भौमिक Alok Bhowmick	मेसर्स बी एंड एसईसीपीएल M/s B & SECPL	9811175255	bsec.ab@gmail.com
9	एस.के. निर्मल S.K. Nirmal	डीजीआरडी - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सेवानिवृत्त) DGRD - MoRTH (Retd.)	8376900507	sknirmal@hotmail.com
10	अशोक कुमार माथुर Ashok Kumar Mathur	ई.डी. - आरआईटीईएस (सेवानिवृत्त) E.D - RITES (Retd.)	9871092399	ashokmathur@gmail.com
11	दिनेश कुमार गुप्ता Dinesh Kumar Gupta	सीपीएम - यूपीएसबीसीएल (सेवानिवृत्त) C.P.M - UPSBCL (Retd.)	9415701218	dineshmbd63@gmail.com
12	वेंकटरमन गोपाल हेगड़े Venkataramana Gopala Heggade	मेसर्स डिकॉन कम्प्लीट सॉल्यूशंस M/s. Decon Complete Solutions	8976068190	vnheggade@gmail.com
13	उपेन्द्र जी शुक्ल Upendra Ji Shukla	संयुक्त प्रबंध निदेशक (सेवानिवृत्त), यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड Joint Managing Director (Retd.), UP Bridge Corporation Limited	9450186442	ujshukla15mm@gmail.com
14	अविनाश कुमार Avinash Kumar	वरिष्ठ प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) (आईआरआईसीईएन) Senior Professor (Retd.) (IRICEN)	81697 24511	avinashiisc2000@gmail.com
15	डॉ किशोर कुमार Dr. Kishor Kumar	मुख्य वैज्ञानिक और प्रोफेसर, जियोटेक्निकल डिवीज़न, सीएसआईआर Chief Scientist & Professor, Geotechnical Division, CSIR	9811211512	kishornhrm@gmail.com
16	नारायण चंद्र पाल Narayan Chandra Pal	पीडब्ल्यूडी और ओबीसीसी के तकनीकी सलाहकार Technical Advisor to PWD & OBCC	9337121523	drncpal@gmail.com

4. उपरोक्त पैरा 1 के अनुसार संबंधित सदस्य द्वारा समिति के विशेषज्ञों के नामांकन के अतिरिक्त, भारांप्रा नीति परिपत्र संख्या 18.97/2024 दिनांक 19.09.2024 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना प्रभारी सदस्य (डिज़ाइन प्रभाग) को भी दी जाएगी, जो तत्पश्चात 3 विशेषज्ञों की समिति के साथ कार्यस्थल का दौरा करने के लिए डिज़ाइन प्रभाग से एक अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

Contd....4/-

In addition to the nomination of Committee Experts by the Member concerned as detailed in Para 1 above, it has been decided vide NHAI Policy Circular No 18.97/2024 dated 19.09.2024, that occurrence of any such incident shall also be intimated to the Member in-charge (Design Division) who may then nominate one Officer from the Design Division to visit the site along with the Committee of 3 Experts.

5. नीति दिशानिर्देश संख्या 18.51, 18.53 (नीति दिशानिर्देश संख्या 18.54 के रूप में संशोधित), 18.87, 18.93 और 18.106 की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

All other terms and conditions of Policy Guideline No. 18.51, 18.53 (amended as Policy Guideline No. 18.54), 18.87, 18.93 and 18.106 will remain unchanged.

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.


09/07/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।

All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.